संख्या-332/2025/1653/41-2-2025-CN-1947086

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 14 जुलाई, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष **2025-26** में अनुदान संख्या **44** के राजस्व लेखा के विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन के पत्र संख्या-201075/15-1-838(26)/ट्रै0ट्रे0/2025-26, दिनांक 08.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में आयोजित होने वाले यथा बुद्धिष्ट कान्क्लेव, रामायण कान्क्लेव, राष्ट्रीय मार्ट्स, अन्तर्राष्ट्रीय मार्ट्स, आतिथ्य व्यय, मेले/महोत्सव एवं मथुरा में उत्सवों आदि से सम्बन्धित विभिन्न आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित मदों में धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**मद**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि**	**मांगी जा रही धनराशि**
1	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**104**-संवर्धन तथा प्रचार-**05-** वाराणसी में बुद्धिष्ट कान्क्लेव का अयोजन-**42-** अन्य व्यय	300.00	300.00
2	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**104**-संवर्धन तथा प्रचार-**09** रामायण कान्क्लेव का आयोजन-**42**-अन्य व्यय मद	400.00	400.00
3	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **03** पर्यटन सूचना एवं प्रचार-**42** अन्य व्यय मद,	500.00	500.00
4	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय -**03**-पर्यटन सूचना और प्रचार-**22-** आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20.00	20.00
5	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **05**-मगहर महोत्सव का आयोजन-**20-** सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	55.00	55.00
6	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **06**-वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	45.00	45.00
7	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **09**-जनपद प्रतापगढ़ में घुईसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन-**20-** सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	25.00	25.00
8	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**12**-मेले/ महोत्सवों के आयोजन हेतु-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2500.00	2500.00
9	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय -**15**-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन-**42**-अन्य व्यय	1300.00	1300.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**16**-मथुरा में उत्सवों का आयोजन-**42**-अन्य व्यय	600.00	600.00
11	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**- सामान्य-**800**- अन्य व्यय-**10** उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट-**2014-42** अन्य व्यय मद,	250.00	250.00
12	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्यव्यय-**08**-अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्टस का आयोजन-**42**-अन्य व्यय मद	700.00	700.00
13	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**07**- डिस्कवर योर रूट्स योजना-**42**- अन्य व्यय मद,	10.00	10.00
14	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**- सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**19**-श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद	**100.00**	**100.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पर्यटन विभाग के अनुदान संख्या **44** के राजस्व लेखा के विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नवत् धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**मद**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**104**-संवर्धन तथा प्रचार-**05**- वाराणसी में बुद्धिष्ट कान्क्लेव का अयोजन-**42**- अन्य व्यय	300.00	150.00
2	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**104**-संवर्धन तथा प्रचार-**09** रामायण कान्क्लेव का आयोजन-**42**-अन्य व्यय मद	400.00	200.00
3	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **03** पर्यटन सूचना एवं प्रचार-**42** अन्य व्यय मद,	500.00	250.00
4	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय -**03**-पर्यटन सूचना और प्रचार-**22**- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20.00	10.00
5	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **05**-मगहर महोत्सव का आयोजन-**20**- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	55.00	27.50
6	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **06**-वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	45.00	22.50
7	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय- **09**-जनपद प्रतापगढ़ में घुईसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन-**20**- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	25.00	12.50
8	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**12**-मेले/ महोत्सवों के आयोजन हेतु-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2500.00	625.00
9	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय -**15**-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन-**42**-अन्य व्यय	1300.00	650.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**16**-मथुरा में उत्सवों का आयोजन-**42**-अन्य व्यय	600.00	300.00
11	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**- सामान्य-**800**- अन्य व्यय-**10** उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट-**2014-42** अन्य व्यय मद,	250.00	125.00
12	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्यव्यय-**08**-अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्टस का आयोजन-**42**-अन्य व्यय मद	700.00	350.00
13	लेखाशीर्षक-**3452**-पर्यटन-**80**-सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**07**- डिस्कवर योर रूट्स योजना-**42**- अन्य व्यय मद,	10.00	5.00
14	लेखाशीर्ष **3452**-पर्यटन-**80**- सामान्य-**800**-अन्य व्यय-**19**-श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद	100.00	50.00

3- स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452801040500 (वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452801040500 वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव	42 अन्य व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,50,00,000** **(रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040900 (रामायण कान्क्लेव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452801040900 रामायण कान्क्लेव का आयोजन	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000** **(रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	044	3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार	42 अन्य व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,60,00,000** **(रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000500 (मगहर महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	044	3452808000500 मगहर महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	27,50,000 (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**27,50,000** **(रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000600 (लखनऊ में वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808000600 लखनऊ में वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**22,50,000** **(रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000700 ("डिस्कर योर रूट्स" योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808000700 "डिस्कर योर रूट्स" योजना	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**5,00,000** **(रुपये पाँच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808000800 (अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंटस का आयोजन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808000800 अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंटस का आयोजन	42 अन्य व्यय	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**3,50,00,000** **(रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष: 3452808000900 (जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथधाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	044	3452808000900 जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथधाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**12,50,000** **(रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001000 (उत्तर प्रदेश ट्रेवेल मार्ट-2014)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	044	3452808001000 उत्तर प्रदेश ट्रेवेल मार्ट-2014	42 अन्य व्यय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**1,25,00,000** **(रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001200 (मेले / महोत्सवों के आयोजन हेतु)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	044	3452808001200 मेले / महोत्सवों के आयोजन हेतु	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**6,25,00,000** **(रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001500 (अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	044	3452808001500 अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन	42 अन्य व्यय	6,50,00,000 (रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	कुल			**6,50,00,000** **(रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001600 (मथुरा में उत्सवों का आयोजन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808001600 मथुरा में उत्सवों का आयोजन	42 अन्य व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001900 (श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	044	3452808001900 श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000** **(रुपये पचास लाख मात्र)**

महायोग	27,77,50,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त **(**आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025**/**बी-1-352**/**दस-2025**-**231/2025**,** दिनाँक- 27**-**मार्च**,** 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक**,** पर्यटन निदेशालय**,** उ0 प्र0**,** लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।